The Court-Fees (Chhattisgarh Amendment) Act, 2017

Act 3 of 2018

Keyword(s):
Court-fees

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जनवरी 2018 — पौष 26, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2018

क्रमांक 540/डी. 09/21-अ/प्रारू./छ. ग./18. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 12-01-2018 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 3 सन् 2018)

न्यायालय फीस (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2017

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुये रूप में न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का सं. 7) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम .

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम न्यायालय फीस (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम , 2017 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 13 का संशोधन.

2. न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का सं. 7) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 13 में, शब्द "कलक्टर से" के पश्चात्, शब्द एवं विराम चिन्ह "या यथा विहित रीति में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से," अंत:स्थापित किया जाये.

धारा 14 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 14 में, शब्द "कलक्टर से" के पश्चात्, शब्द एवं विराम चिन्ह "या यथा विहित रीति में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से," अंत:स्थापित किया जाये.

धारा 15 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 15 में,-

(एक) शब्द "कलक्टर से" के पश्चात्, शब्द एवं विराम चिन्ह "या यथा विहित रीति में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से," अंत:स्थापित किया जाये; और

(दो) शब्द एवं चिन्ह "खण्ड (ख) या खण्ड (घ)" के स्थान पर, शब्द एवं चिन्ह "खण्ड (ख) या खण्ड (ङ) या खण्ड (च)" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 16 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 16 में, शब्द "कलक्टर से" के पश्चात्, शब्द एवं विराम चिन्ह "या यथा विहित रीति में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से," अंत:स्थापित किया जाये.

धारा 25 का संशोधन.

6. मूल अधिनियम की धारा 25 में, शब्द "स्टाम्पों" के स्थान पर, शब्द " यथा विहित रीति में राज्य सरकार को भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण या स्टाम्पों" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 27 का संशोधन.

7. मूल अधिनियम की धारा 27 में, खण्ड (क) को खण्ड (कक) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाये तथा इस प्रकार पुनर्क्रमांकित खण्ड (कक) के पूर्व, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(क) न्यायालय फीस एवं उसके प्रतिदाय के भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण की रीति;"

धारा 30 का संशोधन.

8. मूल अधिनियम की धारा 30 में,-

(एक) द्वितीय पैरा में, पूर्ण विराम चिन्ह " ।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये, तथा

(दो) द्वितीय पैरा के नीचे, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु यह कि जहां न्यायालय फीस, भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा संदेय है, वहां स्टाम्प को निरस्त करने के लिये सक्षम प्राधिकारी, भुगतान की प्रामाणिकता का सत्यापन करेगा तथा स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् कि न्यायालय फीस संदेय है, कम्प्यूटर में प्रविष्टि को लॉक करेगा तथा दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर के अधीन पृष्ठांकित करेगा कि न्यायालय फीस संदेय है तथा प्रविष्टि को लॉक किया गया है."

नया रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2018

क्रमांक 540/डी. 09/21-अ/प्रारू./छ. ग./18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16-1-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 3 of 2018)

THE COURT-FEES (CHHATTISGARH AMENDMENT) ACT, 2017

An Act to further amend the Court-Fees Act, 1870 (No. 7 of 1870) in its application to the State of Chhattisgarh.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Court-Fees (Chhattisgarh Amendment) Act, 2017.

(2) It extends to the whole of the State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in Official Gazette.

Amendment of Section 13.

2. In Section 13 of the Court-Fees Act, 1870 (No. 7 of 1870), (hereinafter referred to as the Principal Act), after the words "receive back from the Collector", the words and punctuation "of by way of electronic transfer in such manner as may be prescribed," shall be inserted.

Amendment of Section 14.

3. In Section 14 of the Principal Act, after the words "receive back from the Collector", the words and punctuation "or by way of electronic transfer in such manner as may be prescribed," shall be inserted.

Amendment of Section 15.

4. In Section 15 of the Principal Act,-

(i) after the words "receive back from the Collector", the words and punctuation "or by way of electronic transfer in such manner as may be prescribed," shall be inserted; and

(ii) for the words and symbol "clause (b) or clause (d)", the words and symbol "clause (b) or clause (e) or clause (f)" shall be substituted.

Amendment of Section 16.

5. In Section 16 of the Principal Act, after the words "receive back from the Collector", the words and punctuation "or by way of electronic transfer in such manner as may be prescribed," shall be inserted.

Amendment of Section 25.

6. In Section 25 of the Principal Act, for the words "stamps", the words "stamps or electronic transfer of payment to the State Government in such manner as may be prescribed" shall be substituted.

Amendment of Section 27. 7. In Section 27 of the Principal Act, clause (a) shall be renumbered as clause (aa) and before clause (aa) so renumbered, the following shall be inserted, namely :-

"(a) the manner of electronic transfer of payent of court-fee and its refund thereof;"

Amendment of Section 30. 8. In Section 30 of the Principal Act,-

(i) in second paragraph, for the punctuation full stop ".", the punctuation colon ":" shall be substituted; and

(ii) below second paragraph, the following shall be added, namely :-

"Provided that, where the court-fee is paid by electronic transfer of payment, the officer competent to cancel stamp shall verify the genuineness of the payment and after satisfying himself that the court-fee is paid, shall lock the entry in the computer and make an endorsement under his signature on the document that the court-fee is paid and the entry is locked."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.